



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/161/2007/...9284

अतिआवश्यक

सेवा में,
राज्य औषधि नियंत्रक,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक...14/03/2020

विषय: COVID 19/कोरोना वायरस से जनित रोग के समुचित प्रबंधन हेतु EDL में निहित आवश्यक औषधियों की उपलब्धता के संबंध में।

प्रसंग: राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 8813 दिनांक 28.02.2020 एवं पत्रांक 9279 दिनांक 14.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि चीन में कोरोना वायरस से उत्पन्न रोग विश्वस्तर पर संक्रमित होता जा रहा है तथा भारत में भी 80 से ज्यादा रोगियों की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे महामारी घोषित कर दिया है एवं सभी राष्ट्र युद्ध स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। देश में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के स्तर पर पूरी शक्ति के साथ इस संक्रमण को रोकने के प्रयास हो रहे हैं। इस कार्यालय उक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा कोरोना वायरस से उत्पन्न आपात स्थिति के मद्देनजर आवश्यक औषधियों का भंडारण सुनिश्चित कराने का निदेश प्रबंध निदेशक, BMSICL एवं सभी सिविल सर्जन तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को दिया गया है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में यह अत्यावश्यक है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रबंधन में उपयोगी औषधियों एवं Medical Devices/Consumables की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता BMSICL एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल तथा सिविल सर्जन कार्यालय में बनाये रखने हेतु औषधि नियंत्रण प्रशासन का सहयोग अपेक्षित है:-

Sl. No.	Name of Drugs	Dosage form
1	Paracetamol	Tab/Syrup
2	Azithromycin	Tab
3	Adrenaline	Inj
4	Noradrenaline	Inj
5	Cefoperazone	Inj
6	Meropenem	Inj
7	Amikacin	Inj
8	Normal Saline	Infusion
9	Compound Sodium Lactate	Infusion
10	Levo Salbutamol	Nebulizer Solution

Sl. No.	Name of Surgical Item/Consumables
1	Examination Gloves
2	Mask (N-95/ Three Layer)
3	Apron
4	Gown





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



Sl. No.	Name of Surgical Item/Consumables
5	Disposable Cap
6	Nasal Prongs with Catheter
7	Universal Protection Kit
8	Endotracheal Tube

3. विदित हो कि भारत के राजपत्र सं० 980 दिनांक 13.03.2020 द्वारा कोविड 19 प्रबंधन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कतिपय सामग्रियों यथा- मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, लॉजिस्टिक्स को विनियमित किया गया है।

4. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि कंडिका 2 के सारणी में अंकित औषधियों एवं Medical Devices/Consumables की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता BMSICL एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल तथा सिविल सर्जन कार्यालय में बनाये रखने हेतु स्वयं के स्तर से समुचित पहल किया जाए। साथ ही, जिलों में पदस्थापित सहायक औषधि नियंत्रक एवं सभी औषधि निरीक्षक को निदेश दिया जाए कि चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक एवं जिलों के सिविल सर्जन से नियमित रूप से close coordination स्थापित कर उपर्युक्त औषधियों एवं Medical Devices/Consumables की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाए। यथा आवश्यक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में निरोधात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल दंडाधिकारी से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/161/2007/.....

अतिआवश्यक

सेवा में,
राज्य औषधि नियंत्रक,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय: COVID 19/कोरोना वायरस से जनित रोग के समुचित प्रबंधन हेतु EDL में निहित आवश्यक औषधियों की उपलब्धता के संबंध में।

प्रसंग: राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 8813 दिनांक 28.02.2020 एवं पत्रांक 9279 दिनांक 14.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि चीन में कोरोना वायरस से उत्पन्न रोग विश्वस्तर पर संक्रमित होता जा रहा है तथा भारत में भी 80 से ज्यादा रोगियों की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे महामारी घोषित कर दिया है एवं सभी राष्ट्र युद्ध स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। देश में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के स्तर पर पूरी शक्ति के साथ इस संक्रमण को रोकने के प्रयास हो रहे हैं। इस कार्यालय उक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा कोरोना वायरस से उत्पन्न आपात स्थिति के मद्देनजर आवश्यक औषधियों का भंडारण सुनिश्चित कराने का निदेश प्रबंध निदेशक, BMSICL एवं सभी सिविल सर्जन तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को दिया गया है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में यह अत्यावश्यक है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रबंधन में उपयोगी औषधियों एवं Medical Devices/Consumables की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता BMSICL एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल तथा सिविल सर्जन कार्यालय में बनाये रखने हेतु औषधि नियंत्रण प्रशासन का सहयोग अपेक्षित है:-

Sl. No.	Name of Drugs	Dosage form
1	Paracetamol	Tab/Syrup
2	Azithromycin	Tab
3	Adrenaline	Inj
4	Noradrenaline	Inj
5	Cefoperazone	Inj
6	Meropenem	Inj
7	Amikacin	Inj
8	Normal Saline	Infusion
9	Compound Sodium Lactate	Infusion
10	Levo Salbutamol	Nebulizer Solution

Sl. No.	Name of Surgical Item/Consumables
1	Examination Gloves
2	Mask (N-95/ Three Layer)
3	Apron
4	Gown

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,

दूरभाष: 0612-2290328, फ़ैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



Sl. No.	Name of Surgical Item/Consumables
5	Disposable Cap
6	Nasal Prongs with Cathether
7	Universal Protection Kit
8	Endotracheal Tube

3. विदित हो कि भारत के राजपत्र सं० 980 दिनांक 13.03.2020 द्वारा कोविड 19 प्रबंधन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कतिपय सामग्रियों यथा- मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, लॉजिस्टिक्स को विनियमित किया गया है।

4. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि कंडिका 2 के सारणी में अंकित औषधियों एवं Medical Devices/Consumables की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता BMSICL एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल तथा सिविल सर्जन कार्यालय में बनाये रखने हेतु स्वयं के स्तर से समुचित पहल किया जाए। साथ ही, जिलों में पदस्थापित सहायक औषधि नियंत्रक एवं सभी औषधि निरीक्षक को निदेश दिया जाए कि चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक एवं जिलों के सिविल सर्जन से नियमित रूप से close coordination स्थापित कर उपर्युक्त औषधियों एवं Medical Devices/Consumables की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाए। यथा आवश्यक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में निरोधात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल दंडाधिकारी से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मनोज कुमार)

ज्ञापांक.....9284.....

पटना, दिनांक.....15/03/2020.....

प्रतिलिपि :

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि स्वयं के स्तर से पहल करते हुये अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सिविल सर्जन/अनुमंडल दंडाधिकारी/सभी सहायक औषधि नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/161/2007/.....

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल।
सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति।

पटना, दिनांक.....

विषय: कोरोना वायरस से उत्पन्न आपात स्थिति के मद्देनजर अगले छः माह के लिए
EDL में निहित औषधियों के भंडारण के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चीन में कोरोना वायरस से उत्पन्न आपात स्थिति भयावह रूप लेती जा रही है तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। विदित है कि चीन विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में उपयोग किये जाने वाले Raw Material का एक प्रमुख स्रोत है। कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के बाद इन Raw Material का देश में आयात बाधित हो रहा है। BMSICL द्वारा भी सूचित किया जा रहा है कि Raw Material की कमी होने के कारण औषधि की आपूर्ति में बाधा आ रही है। भविष्य में इस समस्या के और भी विकट होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

2. अतः असामान्य एवं विशेष परिस्थिति में अनुरोध है कि जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों हेतु EDL में निहित औषधियों की आवश्यकता का आकलन कर अगले छः महीने के लिये आवश्यक औषधि की आपूर्ति हेतु BMSICL को ऑन-लाईन अध्याचना निर्गत कर औषधियों का भंडारण सुनिश्चित करें। ताकि आपात स्थिति में भी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को आवश्यक औषधि निःशुल्क मुहैया कराई जा सके। साथ ही, EDL में निहित जिन औषधियों का दर अनुबंध BMSICL के स्तर से नहीं किया गया है, उनका तीन माह के लिए आवश्यकतानुरूप स्थानीय स्तर पर क्रय विहित प्रक्रियानुसार किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मनोज कुमार)

ज्ञापांक...8813.....

पटना, दिनांक...28/02/2020

प्रतिलिपि :

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



मनोज कुमार, भा०प्र०से०

कार्यपालक निदेशक

अतिआवश्यक

पत्रांक: SHSB/PM/161/2007/... 8813

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल।

सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति।

पटना, दिनांक... 28/02/2020

विषय: कोरोना वायरस से उत्पन्न आपात स्थिति के मद्देनजर अगले छः माह के लिए EDL में निहित औषधियों के भंडारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चीन में कोरोना वायरस से उत्पन्न आपात स्थिति भयावह रूप लेती जा रही है तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। विदित है कि चीन विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में उपयोग किये जाने वाले Raw Material का एक प्रमुख स्रोत है। कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के बाद इन Raw Material का देश में आयात बाधित हो रहा है। BMSICL द्वारा भी सूचित किया जा रहा है कि Raw Material की कमी होने के कारण औषधि की आपूर्ति में बाधा आ रही है। भविष्य में इस समस्या के और भी विकट होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

2. अतः असामान्य एवं विशेष परिस्थिति में अनुरोध है कि जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों हेतु EDL में निहित औषधियों की आवश्यकता का आकलन कर अगले छः महीने के लिये आवश्यक औषधि की आपूर्ति हेतु BMSICL को ऑन-लाईन अध्याचना निर्गत कर औषधियों का भंडारण सुनिश्चित करें। ताकि आपात स्थिति में भी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को आवश्यक औषधि निःशुल्क मुहैया कराई जा सके। साथ ही, EDL में निहित जिन औषधियों का दर अनुबंध BMSICL के स्तर से नहीं किया गया है, उनका तीन माह के लिए आवश्यकतानुरूप स्थानीय स्तर पर क्रय विहित प्रक्रियानुसार किया जाए।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/161/2007/.....

अतिआवश्यक

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल।

सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति।

पटना, दिनांक.....

विषय: COVID 19/कोरोना वायरस से जनित रोग के समुचित प्रबंधन हेतु EDL में निहित आवश्यक औषधियों की उपलब्धता के संबंध में।

प्रसंग: राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 8813 दिनांक 28.02.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि चीन में कोरोना वायरस से उत्पन्न रोग विश्वस्तर पर संक्रमित होता जा रहा है तथा भारत में भी 80 से ज्यादा रोगियों की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे महामारी घोषित कर दिया है एवं सभी राष्ट्र युद्ध स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। देश में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के स्तर पर पूरी शक्ति के साथ इस संक्रमण को रोकने के प्रयास हो रहे हैं। इस कार्यालय उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा कोरोना वायरस से उत्पन्न आपात स्थिति के मद्देनजर आवश्यक औषधियों का भंडारण सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में यह अत्यावश्यक है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रबंधन में उपयोगी औषधियों की पर्याप्त मात्रा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध रहे। इसी क्रम में DVDMS (ई-औषधि) के माध्यम से सभी जिलों में ऐसी औषधियों के भंडारण की स्थिति प्राप्त कर इसकी समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आपके जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में EDL में निहित कई आवश्यक औषधियों की उपलब्धता शून्य है, जो अत्यंत चिंतनीय है और यह स्थिति आपत्तिजनक है। EDL (Essential Drug List) में निहित आवश्यक औषधियों की सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में हर संभव उपलब्धता सुनिश्चित कराना आपके पदीय उत्तरदायित्व में अंतर्निहित है। एतदर्थ आवश्यक औषधियों की शून्य उपलब्धता वाले जिले/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का नाम नीचे सारणी में निम्नवत् है:-

क्र०सं०	औषधि का नाम	शून्य उपलब्धता वाले जिले/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का नाम
1	Paracetamol - Tab/Syrup * availability of all formulations required	JLNMCH Bhagalpur, PMCH Patna, GMC Bettiah, DMCH Darbhanga, ANMCH Gaya, SKMCH Muzaffarpur, VIMS Pawapuri
2	Azithromycin (Tablet/ Suspension) * availability of all formulations required	अरवल, औरंगाबाद, लखीसराय, पूर्णिया, JLNMCH Bhagalpur, GMC Bettiah, DMCH Darbhanga, ANMCH Gaya, SKMCH Muzaffarpur, VIMS Pawapuri
3	Adrenaline- Inj	बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, कैमूर, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, रोहतास, शेखपुरा, JLNMCH Bhagalpur, PMCH Patna, DMCH Darbhanga, ANMCH Gaya, SKMCH Muzaffarpur, VIMS Pawapuri, GMC Bettiah

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,

दूरभाष: 0612-2290328, फ़ैक्स: 0612-2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



4	Noradrenaline- Inj	अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, पश्चिमी चम्पारण, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल, वैशाली, JLNLMCH Bhagalpur, GMC Bettiah, PMCH Patna, DMCH Darbhanga, ANMCH Gaya, SKMCH Muzaffarpur, VIMS Pawapuri
5	Cefoperazone Inj * availability of all formulations required	JLNLMCH Bhagalpur, GMC Bettiah, DMCH Darbhanga, ANMCH Gaya, SKMCH Muzaffarpur, VIMS Pawapuri
6	Meropenem- Inj * availability of all formulations required	JLNLMCH Bhagalpur, PMCH Patna, GMC Bettiah, DMCH Darbhanga, ANMCH Gaya, SKMCH Muzaffarpur, VIMS Pawapuri
7	Amikacin- Inj (100mg, 250mg, 500mg) * availability of all three formulations required	अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, पटना, सहरसा, JLNLMCH Bhagalpur, PMCH Patna, GMC Bettiah, DMCH Darbhanga, ANMCH Gaya, SKMCH Muzaffarpur, VIMS Pawapuri
8	Normal Saline- Infusion	अररिया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, मधेपुरा, सहरसा, JLNLMCH Bhagalpur, NMCH Patna, GMC Bettiah, DMCH Darbhanga, ANMCH Gaya, SKMCH Muzaffarpur, VIMS Pawapuri
9	Compound Sodium Lactate - Infusion	GMC Bettiah, DMCH Darbhanga, SKMCH Muzaffarpur, VIMS Pawapuri
10	Levo-Salbutamol (Nebulizer Solution)	सभी जिला (नवादा, सीतामढ़ी को छोड़कर) एवं JLNLMCH Bhagalpur, PMCH Patna, NMCH Patna, GMC Bettiah, DMCH Darbhanga, ANMCH Gaya, SKMCH Muzaffarpur, VIMS Pawapuri

3. अतः निदेश दिया जाता है कि जिन आवश्यक औषधियों की उपलब्धता शून्य है, उसकी उपलब्धता 3 दिनों के अंदर निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, पत्र निर्गत होने के तीन दिनों के अंदर स्पष्ट किया जाए कि किन परिस्थितियों में EDL में निहित आवश्यक औषधियों की उपलब्धता शून्य है। औषधियों की शून्य उपलब्धता हेतु संबंधित पदाधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हेतु स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को प्रस्ताव भेजा जाए। उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नही होने की स्थिति में उक्त कृत्य हेतु प्रत्यक्ष रूप से आप उत्तरदायी समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मनोज कुमार)





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार




ज्ञापंक.....१२७९.....

पटना, दिनांक.....१५/०३/२०२०.....

प्रतिलिपि :

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि स्वयं के स्तर से पहल करते हुये अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि EDL में निहित आवश्यक औषधियों की हर संभव उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए।


कार्यपालक निदेशक





भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032020-218645
CG-DL-E-13032020-218645

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 980]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941

No. 980]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

का.आ. 1087(अ).—केन्द्र सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, लॉजिस्टिक्स (कोविड 19 प्रबंधन के लिए) को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इस आदेश को आवश्यक वस्तु आदेश, 2020 कहा जाएगा।
(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में, अनुसूची में, क्रम संख्या (7) के पश्चात् निम्नलिखित मद को जोड़ा जाएगा, नामतः—
“(8) मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर”।
- यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से दिनांक 30 जून, 2020 की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. एस-26(1)/2020-ईसीआरएंडई]

अवधेश कुमार चौधरी, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2020

S.O. 1087(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2A, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, hereby makes the following Order, to regulate the production, quality, distribution, logistics of masks (2ply & 3ply surgical masks, N95 masks) & hand sanitizers (for COVID 19 management) namely :—

1. (1) This order may be called the Essential Commodities Order, 2020.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Essential Commodities Act, 1955, in the Schedule, after serial No. (7), the following item shall be added, namely:—
“(8) masks (2ply & 3ply surgical masks, N95 masks) & hand sanitizers”.
3. This Notification shall remain in force for a period up to 30th June, 2020 from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 26(1)/2020-ECR&E]

A. K. CHOUDHARY, Economic Adviser